रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092020-221921
CG-DL-E-23092020-221921

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 470] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 23, 2020/आश्विन 1, 1942
No. 470] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 23, 2020/ASVINA 1, 1942

Image Code

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2020

**सा.का.नि. 579(अ).**—केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 436(अ), तारीख 10 जुलाई, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना वाली राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थीं, तीस दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को 10 जुलाई, 2020 को उपलब्ध करवा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों के सम्बध में जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे ;

अत: अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटरयान नियम, 2020 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (नवां संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 115ज के पश्चात् निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

**"115 झ – संपीडित गैसीय हाइड्रोजन ईंधन सेल पर चलने वाले मोटर यानों के लिए अपेक्षाएं –**

(1) संपीडित गैसीय हाइड्रोजन ईंधन सेल पर चलने वाले प्रवर्ग एम और प्रवर्ग एन के मोटर यान भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन तत्स्थानी बी आई इस विनिर्देश अधिसूचित होने तक, समय समय पर यथा संशोधित ए आई एस 157: 2020 के अनुसार होंगे ।

(2) ईंधन सेल यानों के लिए हाइड्रोजन ईंधन विनिर्देश भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन तत्स्थानी बी आई एस विनिर्देश के अधिसूचित होने तक आई इस ओ 14687 के अनुसार होंगे ।

[आर टी–11036/41/2020-एम वी एल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्याक सा.का.नि. 590(अ), तारीख 1 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 540(अ), तारीख 31 अगस्त, 2020 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया था ।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2020

**G.S.R. 579(E)**.—Whereas, the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, was published as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 436(E) dated the 10th July, 2020, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

AND whereas, copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 10th July, 2020;

AND whereas, no objections and suggestions were received from the public in respect of the said draft rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

**1. Short title and commencement**.-(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Ninth Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Central Motor Vehicle Rules, 1989, after rule 115H, the following rule shall be inserted, namely:-

**"115I. Requirements for the motor vehicles running on compressed gaseous hydrogen fuel cell.-** (1) The motor vehicles of Category M and Category N, running on compressed gaseous hydrogen fuel cell shall be in accordance with AIS 157:2020, as amended from time to time, till the corresponding BIS specification is notified under the Bureau of Indian Standard Act, 2016 (11 of 2016).

(2) The hydrogen fuel specification for fuel cell vehicles shall be in accordance with ISO 14687 till the corresponding BIS specification is notified under the Bureau of Indian Standard Act, 2016 (11 of 1986)."

[RT-11036/41/2020-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. 540(E), dated 31st August, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.09.23 22:41:43 +05'30'